IV – 264

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

015928

ATTESTED

ट्रस्ट–डीड

स्टाम्प शुल्क – 500/– रूपये

हम कि श्रीमती अजंली पुत्री स्व0 श्री नारायण सिंह निवासी 581/2, जाग्रति विहार, मेरठ व श्री शीश पाल सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम पाँचली खुर्द, जिला मेरठ के है जिन्हें आगे व्यवस्थापक कहा गया है। व्यवस्थापको की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापको ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापना धनराशि अंकन 10,000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते है और उक्त उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्यो की पूर्ति हेतु व्यवस्थापको ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियो एवं प्राविधानो के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JU

ATTESTED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 777461

Kr. Mohd. AKRAM KH
ADVOCATE
MEERUT.

व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :—

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम **नीलकंठ एजुकेशनल ट्रस्ट (Neelkanth Educational Trust)** होगा।

2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 581/2, जाग्रति विहार, मेरठ होगा परन्तु न्यासीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/— रूपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, धन दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त टस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 777460

4. यह है कि ट्रस्टीगण फण्ड तथा ट्रस्ट जिनकी पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य समाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

(1) मेडिकल कॉलिज, डेन्टल कॉलिज एवं अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

Amjad

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 777459

(2) इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

(3) स्कूल कॉलिज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(5) जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना। [redacted]।

(6) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्रों के लिये छात्रवृति, सहायता आदि प्रदान करना।

(7) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।

(8) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदुषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 777558

(9) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(10) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

(11) शैक्षिक किताबों, पेपर का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

(12) समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिये कार्य करना।

(13) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

(14) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना।

(15) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

Anand

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 777557

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रास्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

10. यह कि अध्यक्ष व सचिव का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनकी सन्तानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा। किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नही होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 777556

11. यह कि व्यवस्थापक/ट्रस्टी, ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष एवं सचिव नियुक्त करेंगे तथा अध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये उपाध्यक्ष व उपसचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त (Life Term) होगा व सचिव का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा लेकिन सचिव अपने कार्यकाल से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। निवर्तमान पदाधिकारियों का पुनः चयन हो सकता है। अध्यक्ष व सचिव उक्त पदाधिकारियों को उनके कार्यकाल से पहले भी उनके पद से हटा सकते हैं।

12. यह कि श्रीमती अंजली उक्त उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम अध्यक्ष व श्री शीशपाल सिंह उक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे।

13. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे :-

अध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना।

सचिव :- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयनुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :- ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान करना। ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते सावधि जमा खाते, सेविंग बैंक खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते व सभी प्रकार के बैंकिंग खातों का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं सचिव के साथ करना।

14. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे- न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक कर अध्यक्ष द्वारा आहूत की जावेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

15. यह कि ट्रस्टीगण समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार

ट्रस्टीगण उचित समझ से प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियो के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे।

16. अध्यक्ष व सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। यह कि ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव को होगा।

18. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयो की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं दो ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभी स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणो को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

20. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापको की मृत्यु के बाद इनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। [illegible]

21. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नही होंगे।

22. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविंग बैंक खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते है परन्तु सभी उक्त बैंकिंग एकाउन्ट्स खातों का संचालन तीन पदाधिकारियें के संचालन से होगा जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष होंगे।

24. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियो का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाब्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

25. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने हस्ता-तरण करने या अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यो से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।

28. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये समय-समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। इन सभी कार्यों को करने का अधिकार अध्यक्ष व सचिव का होगा।

Anjali

[redacted]

[redacted]

29. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रो व अन्य प्रतिभूतियो मे निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

30. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात् जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा। नोट पृष्ठ 6 की सतर 4 मे करना है बाद म सतर 5 कटिंग है पृष्ठ 9 की सतर 22 मे रहेगा के बाद सतर 23 कटिंग है।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक–ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किया।

नोट-पृष्ठ एक की सतर 3 मे श्री व नारायण के बीच एक लगाकर "शिव" बनाने सतर तहरीर है जो सही है।

Anjali शीशपाल सिंह

मुकिरा श्रीमती अंजली के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

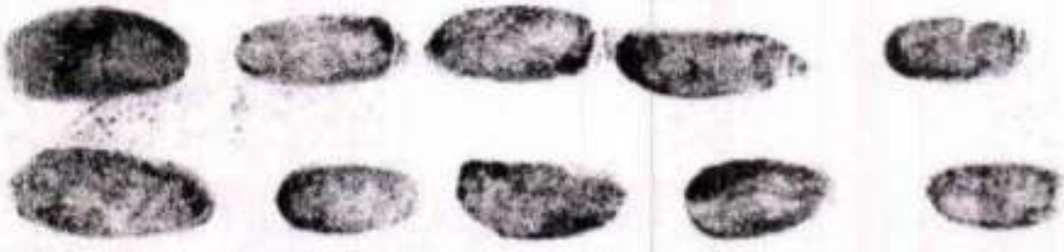

मुकिर शीशपाल सिंह के दोनों हाथ की उगलियों के निशानात

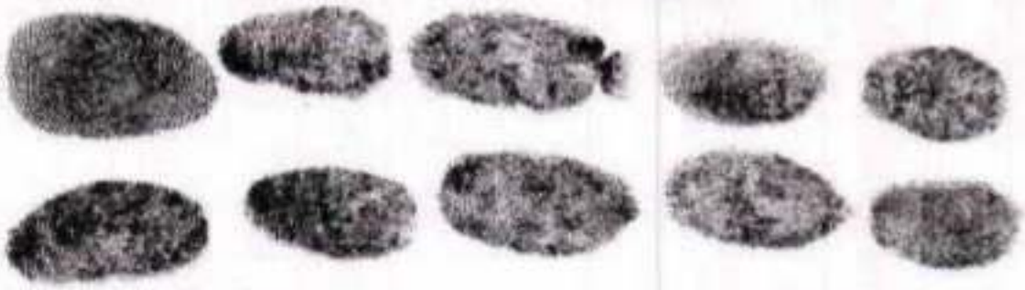

गo प्रदीप कुमार
पु. श्री धरम सिंह
ग्राम पोस्ट - सिम्भालकी
जिला - मु०नगर

गo Akram Khan Advocate
Kr. Mohd. AKRAM KHAN ADVOCATE MEERUT.

तहरीर तारीख 22.07.2006 मसविदा श्री मौ0 अकरम खां, एडवोकेट व टाईपकर्ता विपिन कुमार।

Akram Khan Advocate
Kr. Mohd. AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 132558

27 SEP 2007

संशोधन पत्र ट्रस्ट डीड

श्रीमती अंजली पुत्री स्व0 श्री शिव नारायण सिंह निवासी 581/2, जागृति विहार, मेरठ-----प्रथम पक्ष

व श्री शीशपाल [illegible] पुत्र श्री [illegible] राज सिंह निवासी पांचली खुर्द, मेरठ ——————द्वितीय पक्ष

व डा0 [illegible] पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी सी-22, प्रोफेसर्स क्वार्टर्स, चौधरी चरण सिंह, विश्व विद्यालय परिसर, मेरठ——————————————————तृतीय पक्ष

जोकि तीनों पक्ष धार्मिक प्रवृति के है और समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने के इच्छुक है जिसके लिये प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट नीलकण्ठ एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से अंकन 10,000/- रूपये (दस हजार रुपये) की धनराशि से स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्यालय 581/2,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 448362

11 OCT 2007

:: 2 :

जागृति विहार मेरठ है जिसका विधिवत ट्रस्ट डीड 22.07.2006ई0 को निष्पादित हुआ। जिसकी रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के सुफे 221/242 मे नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई। उक्त विलेख मे परिस्थिति वश कुछ संशोधन की आवश्यकता है तथा द्वितीय पक्ष सामाजिक कार्य मे व निर्वहन मे अपनी सेवायें देने मे असमर्थ है इसलिये द्वितीय पक्ष ने उक्त ट्रस्ट से

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02AA 402079

त्यागपत्र देकर ट्रस्ट के सचिव के दायित्व से पदमुक्त एवं ट्रस्ट से अवमुक्त हो गये है, तथा तृतीय पक्ष उक्त ट्रस्ट में द्वितीय पक्ष के स्थान पर ट्रस्टी एवं सचिव नियुक्त किये गये है, तथा प्रथम पक्ष पूर्व की भांति अध्यक्ष हैं जो जीवन पर्यन्त रहेंगें। ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 में कुछ संशोधन प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से किये हैं। जिनका

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH :: 4 :: 02AA 399210

संशोधन ट्रस्ट डीड में होना वैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य है। अतः पढ़कर शान्तिपूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 में निम्न संशोधन करते हैं।

1- यहकि ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रथम पक्ष श्रीमती अंजली व सचिव तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर होंगे, तथा अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल पूर्व विलेख में संशोधित कर जीवन पर्यन्त रहेगा।

2- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006ई0 की धारा-11 में वर्णित समस्त कार्य अध्यक्ष व सचिव सम्पादित करेंगे एवं सभी समिति एवं उपसमितियों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव ही करेंगे।

3- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा-13 में वर्णित पदाधिकारीगण में उपाध्यक्ष उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिये गये हैं। ट्रस्ट में केवल अध्यक्ष एवं सचिव ही होंगे। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य ट्रस्टी होगा वह सदस्य के रूप में रहेगा।

अंजली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399211

4- यहकि ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 की धारा 23 में बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था को संशोधित करके व्यवस्था की गयी है कि बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

5- यहकि तृतीय पक्ष को सर्व सम्मति से ट्रस्टी नियुक्त किया है जो जीवन पर्यन्त ट्रस्टी होंगे और ट्रस्ट के सचिव के रूप में जीवन पर्यन्त ट्रस्ट को अपनी सेवायें प्रदान करेंगे।

6- यहकि ट्रस्ट की शेष नियम एवं शर्तें ट्रस्ट विलेख दिनांक 22.07.2006 रजिस्ट्रीशुदा जिसकी रजिस्ट्री फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 319 के सुरे 221/242 में नम्बर 264 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई के अनुसार रहेंगी और यह संशोधन पत्र उसका अंग रहेगा और उसके साथ पढ़ा व सुना जायेगा। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वर्तमान में ट्रस्ट में कुल दो ट्रस्टी प्रथम पक्ष, श्रीमती अंजली एवं तृतीय पक्ष डा0 सोमेन्द्र तोमर ही हैं द्वितीय पक्ष श्री शीश पाल सिंह ट्रस्ट से पदमुक्त एवं अवमुक्त हो गये हैं यानि अलग हो गये हैं।

अंजली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 02AA 399212

:: 6 ::

7- यहांके समस्त नियमों की पाबन्दी तीनों पक्षों पर होगी एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हो तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को विस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी व ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

अंजली

मुकिरा श्रीमती अंजली के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

मुकिर श्रीश्याम सिंह के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

अंजली

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

02AA 399213

:: ३ ::

नुकिर डा० सोमेन्द्र तोमर के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

तहरीर तारीख 16.10.2007ई०। मसविदा पवन कुमार गर्ग, दस्तावेज लेखक, मेरठ।